ंशिकनेस पास्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक रिकट) के प्रेषण हेंतु अनुमत क्रमांक जी 2-22 होतीसगढ़ पजट/38 सि.सं भिलाई, दिनांबा 30-5-2001



पंजीयन क्रमात 'क्रनीसगढ्र/दुर्ग/१७/2010-2012,'

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197 |

राधपुर, बुधवार, दिनांक ८ जून २०११ — न्येष्ठ १४, शक १९३३

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग े मंत्रालय, दाठा कल्याण सिंह भवन, रायपुर

सयपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.-- ७. ग. नगा पालिक निगम अधिनियम, 1956 (ब्रमार्क.23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निग्न अनुसूची के अनुस्तर निज्निलेखिन ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगा पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित करता है:-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, राथपुर की सीमा में सम्मिलित किये काने वाले ग्राम/ग्राम पंचायती का विवरण निम्नानुसार है 🕒

क्रमांक (1)	ग्राम/प्राम पंचायत का नाम (२)	जनसञ्ज्या (2001) (3)
1,	आगसिवनी	7142
2.	वाचना	4081
3.	जोरा	3968
4,	देवपुरी	3930 -
× 5.	्रमस्तराई	3205
6.	बोरियाखुर्द	3218
7.	इंडा	2952

अनुगुची-2

नगर पालिक विगम, रायपुर की सशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी : -

एजस्न ग्राम आमासिवती, कराना, जॉरा, देवपुरी, ड्मस्तराई, बोरियाग्बुर्द, डूंडा एवं नगर पालिकांग्रम, रायपुर की सीमाए ही नगर पालिकांग्रिम, रायपुर की सीमाए होगी.

> त्वतीसगढ़ के संज्ञानाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिन

सयपुर, दिनाक ७ भून २०११

क्रमांक एफ -1-42/18/2009 .— भारत के संविधान के अनुच्छद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिगुचनाएफ -1-42/ 18/2009 दिनाक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एत दह्वाग प्रकाशित किया जाता है.

> छतीसगद्ध के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार, बितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

Raipur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the following of Municipal Corporation, Raipur as given in the following schedule:

SCHEDULE-1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are includes in the Boundaries of Municipal Corporation arounds as under :-

S. No.	Name of Gram/Gram Panchavat (2)	Population (2001)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,	Amasiyni Kachna Zora Devpuri Doomartaraj Boriakhurd Dunda	2142 4081 3968 3930 3205 3218 2952

SCHEDULE . 2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raipur is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Raipur will be the boundaries of existing revenue gram Panchayat sastyni, Kachna, Zora, Devpuri, Doomartarai, Boriakhurd, Dundarand Municipal Corporation, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ITTENDRA SHUKLA, Deputy Secretary,

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसृचना

क्रमांक एपा-1-42/18/2009. — छ म. अगर पालिक निगम अभिनियम, 1956 (क्रमाक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तिको को प्रयोग में ठाते हुए, राज्य शासन एतद्हारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम गंपायतों को नगर पालिक निगम, सथगढ़ की सीमा में समितिकेश करता है -

अनुसूची-।

नगर पालिक निगम, संगाद की सीमा में समिमिलत किये जाने वाले ग्राग/प्राम पंचायतों का विवर्ण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)
1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9	भगवानपुर गोरखा सराईपाली छाताभुड़ा सहदेवपाली बोईदादर विजयपुर गोवधेनपुर उर्दगा अमलीभौना बडे अतरमुडा पतरापाली	1467 1063 619 2200 1040 2462 1093 501 2659 483 546

अनुसूची-2

नगर पाळिक निगम, रायगढ की संशोधित सीधाए निम्नानुसार होगी :-

राजस्व ग्राम भगवाजपुर, गीरखा, सराईपाली, छातामुद्रा, सरवेवपाली, बोईरदादर, विजयपुर, गोवर्धनपुर, उर्दना, अमलीभीना, बंदे अतरमुङा,पतरागाली खं नगर पालिक निगम, रायगढ़ की मीमाएं ही नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाए होगी.

> छतीसगढ़ के राज्यगाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्छा, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एक -1-42/18/2009 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसाण में इस विभाग के अधिसूचना एफ -1-42/ 8/2009 दिनाक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्धारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बितेन्द्र शुक्ला, उप-सर्विव

Raspur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009. —In exercise of the powers conferred by Section 305 (1) of Chhartisgarh Municipal Corpe on Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Grant/Grant Panchayar in the Bound: Municipal Corporation, Rangarh as given in the following schedule:—

SCHEDULT-1

The particulars of the Granu Granu Panchayat which are included in the Boundaries of Municipal Corporate Rangarh is as under:

S. No.	Name of Grant/Grant Panchayar	Population (2001)
(1)	· (c)	(3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Bhagwanpur Gorkhu Saraipali Chatamuda Sahadevpali Boirdadar Vijaypur Gowardhanpur Urdana Amlibhawna Budeatarmunda	1467 1033 619 2203 1140 2462 1093 501 2659 483 546

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh is as below -

The Boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh will be the boundaries of existing revenue gram Panchayan Blugwanpur, Gorkha, Saraipali, Chatamuda, Sahdevpali, Boirdadar, Vijayjur, Gowardhanpur, Urdana, Amlibhawana... Badeatarmuda, Patrapali and Municipal Corporation, Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Chhartisgarli, HTENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिसांक ७ जून 2011

अधिसृचना

क्रमांक एफ -1-42/18/2009. — छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शतितयों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्धारा, निम्ना अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/श्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में -सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में भविमलित किये जाने वाले ग्राम/प्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (+)	ग्राम/ग्राम पंचायन का नाम (२)	अनसस्याः (३)
1	Ti-tree's	
2	नवागढ	3084
	गमार्वित	
3.	बिशाम्य	1159
4.		712
	भगवानपुर करता	2500
WELLEY	The state of the same of	2500

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, अध्विकापुर की गंशोधित सीमाएं निम्ना सार होगी :-

राजस्य प्राप्त नवागद्द, गंगापुर, बिशुनपुर, भगवानपुर बाला एवं नगर पालिक निगम, अस्बिकापुर की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, अस्विकापुर की

छत्तीसगढ़ के सञ्चपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, उप-सच्चिर

रायपुर, दिनाक ७ जून २०१।

क्रमांक एफ-1-42/18/2009 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के जनुसरण में इसविभाग के अधिसूचना एफ -1-42 ा % 2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्दारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के सन्वपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ला, उप-साँबः.

Raipur, the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009. —In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation, Ambikapur as given in the following schedule:—

SCHEDULE-1

The particulars of the Gram/Grain Panchayat which are includes in the Boundaries of Municipal Corporation Ambikapur is as under:-

S. No.	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001)
Ti.	Navagarh	
2,	Gangapur Bisunpur Bhagwanpurkala	3084
3		1159
4		712
		2500

394 (4)

Tim

SCHEDULE-7

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur is as below j-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur will be the boundaries of existing revenue Gram Panchayal Navagarh, Gangapur, Bisunpur, Bhagwanpurkala, and Municipal Corporation. Anthikapur

By order and in the name of the Governor of Chhatlisgarh, HTENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.